प्रेस नोट दिनांक 16.08.2019 **थाना डौकी जनपद आगरा।**

थाना डौकी पुलिस टीम ने चैकिंग अभियान के दौरान थाना डौकी/थाना पिनाहट पर पंजीकृत अभियोगों में वांछित चल रहें अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु व अपराधियों के धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पूर्वी व क्षेत्राधिकारी फतेहाबाद के सफल पर्यवेक्षण में जनपद में चलाये जा रहे वांछित/चोर/लुटेरों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में थाना प्रभारी डौकी व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पूर्वी की संयुक्त पुलिस टीम का गठन कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

- **घटना का संक्षिप्त विवरण :–**

इसी क्रम में गठित संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दिनांक 15.08.2019 को चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखविर द्वारा प्राप्त सूचना हुई कि थाना डौकी जनपद आगरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 232/2019 धारा 392 भा.द.वि. में वाछित चल रहे अभियुक्त रुपसिंह उर्फ रुपा उर्फ गैंडा उर्फ रामरुप पुत्र पंचम सिंह निवासी टिकैतपुरा थाना डौकी जनपद आगरा अपने साथियो के साथ एवं लूटी गयी मोटर साइकिल सहित वाजिदपुर की तरफ से टुण्डला की ओर जा रहे हैं। अगर जल्दी की जाए तो गिरफ्तार किये जा सकते हैं।

इस सूचना पर रुपसिंह उपरोक्त व उसके दो साथी व लूटी गयी मोटर साइकिल पर सवार को समय करीब 01.30 बजे रात्रि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के नीचे अण्डर पास वाजिदपुर के पास चौकिंग के दौरान लूटी गयी मोटर साइकिल सहित अभियुक्त रुपसिंह को गिरफ्तार करने के समय अभियुक्त रुपसिंह द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस मुठभेड में अभियुक्त रुपसिंह उपरोक्त को उसके साथियों आकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी वाजिदपुर थाना डौकी जनपद आगरा, रोहित पुत्र श्यामबाबू निवासी कुण्डौल थाना डौकी जिला आगरा को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त रुपसिंह की निशानदेही पर ट्रेक्टर थाना क्षेत्र पिनाहट से चोरी किया गया है व थाना डौकी क्षेत्र से चोरी मोटर साइकिल भी बरामद हुई है। अभियुक्त रुपसिंह शातिर अपराधी है जो ट्रेन व बसों में जेब काटता है व मोबाइल को चोरी करता है। अभियुक्त रुपसिंह उपरोक्त ने दिनांक 24.07.2019 को अपने साथी बृजमोहन, परमार व रामकेश के साथ मिलकर एक दम्पत्ति से लूट की घटना कारित की थी। अभियुक्तगण बृजमोहन व परमार थाना फतेहाबाद आगरा से जेल भेजे जा चुके हैं। अभियुक्त रुप सिंह ने अपने साथी श्यामवीर व राजेश उर्फ सूरा के साथ मिलकर पिनाहट क्षेत्र से दिनाँक 27.05.2019 को एक महेन्द्रा ट्रैक्टर चोरी किया था, जो इसके कब्जे से बरामद हुआ है जो इस घटना में संलिप्त श्यामवीर व अजय अन्य मुकदमे में पूर्व से ही जेल में है। गिरफ्तार अभियुक्तगण से 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर मय 02 कारतूस 315 बोर (01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस) 02 अदद मोटर साइकिल, ट्रेक्टर व 03 मोबाइल बरामद हुये।

- **गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :–**

01. रुपसिंह पुत्र पंचम सिंह निवासी टिकैतपुरा थाना डौकी जनपद आगरा।
02. आकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी वाजिदपुर थाना डौकी जनपद आगरा।
03. रोहित पुत्र श्यामबाबू निवासी कुण्डौल थाना डौकी जनपद आगरा।

- **फरार अभियुक्तगण का विवरण :–**

01. आकाश पुत्र सियाराम निवासी टिकैतपुरा थाना डौकी जनपद आगरा।
02. शिवा पुत्र हरेन्द्र निवासी नगला टांक थाना डौकी जनपद आगरा।

- **बरामदगी का विवरण :–**

01. एक अदद ट्रेक्टर महेन्द्रा UP80DX 0866
02. एक मोटर साइकिल प्लेटिना न0 UP80CY7732
03. एक मोटर साइकिल सीडी डीलक्स UP80FB4931
04. तीन अदद मोबइल चोरी के ट्रेन व बसो से।
05. एक अदद देशी तमन्चा 315 बोर मय 02 कारतूस 315 बोर (01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस)

- **गिरफ्तार अभियुक्त रूपसिंह का आपराधिक इतिहास का विवरण :–**

क्र.सं.	मु.अं.सं.	धारा	थाना / जनपद
01.	232/2019	धारा 392 भा0द0वि0	डौकी / आगरा
02.	391/2016	धारा 413/414 भा.द.वि. व धारा 15डी एक्ट	डौकी / आगरा
03.	392/2019	धारा 25 आर्म्स एक्ट	फतेहाबाद / आगरा
04.	702/2019	धारा 379/411 भा.द.वि.	हरीपर्वत / आगरा
05.	47/2011	धारा 18/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट	डौकी / आगरा
06.	231/2019	धारा 379 भा.द.वि.	डौकी / आगरा
07.	130/2019	379 भा.द.वि.	पिनाहट / आगरा
08.	260/2019	धारा 307 पुलिस मुठभेड़	डौकी / आगरा
09.	261/2019	धारा 3/25 आर्म्स एक्ट	डौकी / आगरा

- **बरामद करने वाली पुलिस टीम का विवरण :–**

01. प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार थाना डौकी जनपद आगरा।
02. उ0नि0 बृजकिशोर सिंह थाना डौकी जनपद आगरा।
03. उ0नि0 दीपक कुमार थाना डौकी जनपद आगरा।
04. उ0नि0 राजीव कुमार थाना डौकी जनपद आगरा।
05. उ0नि0 आनन्द सिंह थाना पिनाहट जनपद आगरा
06. कां0 3134 बृजेश कुमार, कां0 4452 राहुल फन्टर, कां0 2231 कुलदीप कुमार, कां0 3224 रवि कुमार थाना डौकी जनपद आगरा।
07. है0का0 966 चन्द्रभान थाना पिनाहट जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।